

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

कमांक सं.27(4)(1)पदो./अभि/2024/

जयपुर,दिनांक

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल 5 में पदोन्नत किया जाता है-

क्र०स०	कार्मिक का नाम मय पिता का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
01	02	03	04
01.	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र (विकलांग)	अनारक्षित	01.04.2024
02.	श्री मोती मनोहर पुत्र श्री जुगल किशोर	अनारक्षित	01.04.2024
03.	श्री अमर चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल	अनारक्षित	01.04.2024

नोट:-

- श्री लुकेश निम्मीवाल पुत्र श्री राजमजीलाल की वर्ष 2024 में अचल सम्पत्ति की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार करते हुए इनकी अचल सम्पत्ति की सूचना प्राप्त होने तक इनकी पदोन्नति हेतु पद रिजर्व रखा गया है।
- पदोन्नत कर्मचारी रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति के पात्र है परन्तु पदोन्नति का वास्तविक लाभ पदोन्नति पर पदस्थापन के पश्चात कार्यग्रहण की दिनांक से देय होगा। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
- समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
- सम्बन्धित कार्मिक... ..द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष ।
- संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शाखा,
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ।
- रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर